

पत्रांक 10 / न 4-110 / 2012.....  
**शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।**

प्रेषक,

लक्ष्मण कुमार सिंह,  
 विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

सेवा में,

अध्यक्ष,  
 केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
 शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,  
 नई दिल्ली-110092

विषय :

पटना, दिनांक .....

**St. Joseph's Academy, Sarai Box, (Mahabir Chowk) Rewa Road,  
 Chapra-841311** को अनापति प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **St. Joseph's Academy, Sarai Box, (Mahabir Chowk) Rewa Road, Chapra-841311** को अनापति प्रमाण पत्र देने दण्डाधिकारी के समक्ष किये गये शपथ पत्र के साथ संलग्न उक्त विद्यालय के अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा दी गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद सिंह एजुकेशनल एवं वैलफैयर सोसाइटी के अधीन सचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का नाम दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निवधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के बांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को 02.19 एकड़ भूमि 30 दर्हों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय में उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रथल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं।

4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 18 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है भथवा नहीं।

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा ज्ञार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे री० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सुमति दी गयी है कि उसे विभागीय आधेसूचना संख्या-238, दिनांक 04.04.2006 में उल्लिखित अपोंशेत शर्त स्वीकार है।

### अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

- (i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत नि:शुल्क नामांकन पडोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का किया जायेगा तथा उनसे दृश्यून शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बलिकाएं तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष ₹2,00,000/- (दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/क० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/क०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8 यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के रब्द में शापथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी० पी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर सचालित है।

9 साथ ही बोर्ड को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक उत्तरी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापाते प्रमाण-पत्र देखने ले लिये जाएंगे।

10 विभागीय पत्रांक-46, दिनांक 18.01.2010 द्वारा शिक्षक, आओ को शारीरिक दण्ड नहीं दिया जाने सबधीं आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11 विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त घण्टिं शर्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निष्पादित अनुमति St. Joseph's Academy, Sarai Box, (Mahabir Chowk) Rewa Road, Chapra-841311 का रो० पी० एस० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्ध हेतु अनापाते प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

विद्यालय

ह०/-

(लक्ष्मण कुमार सिंह)

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

ज्ञापांक..... 1499 .....

दिनांक..... 14/11/12 .....

ह०/-

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

प्रतिलिपि : प्राचार्य, St. Joseph's Academy, Sarai Box, (Mahabir Chowk) Rewa Road, Chapra-841311 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष निदेशक, मा० शिक्षा।

6/11/12